



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220194
CG-DL-E-26062020-220194

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1840]
No. 1840]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ़ 5, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 2077(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, झारखंड राज्य, गेल (इंडिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जगदीशपुर - हल्दिया एण्ड बोकारो/धामरा पाईपलाइन प्रोजेक्ट

सी जी एस जमशेदपुर स्पर पाइपलाइन

राज्य . झारखण्ड

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर . आर . वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
सरायकेला	गम्हरिया	रधुडिह	22	59	00	00	55
				57	00	03	06
				66	00	02	93
				85	00	05	98
				90	00	02	43
				91	00	02	58
				101	00	04	44
				176	00	03	37
				183	00	11	63
				175	00	11	21
				95	00	02	06
				92	00	00	37
				107	00	00	40
				104	00	05	21
सरायकेला	गम्हरिया	केतुल तंगा	54	35	00	01	00
				29	00	07	39
				1	00	02	35

[फा. सं. एल-14014/25/2020-जी पी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 2077(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) and Spur Pipeline, in the State of Jharkhand, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, State of Jharkhand, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline Project

CGS Jamshedpur Spur Pipeline

State- Jharkhand

Dist	Block	Village	Thana No.	Survey No	Area		
					Hectare - Are - Sq.mtr		
1	2	3	4	5	6		
Saraikela	Gamhariya	Raghudih	22	59	00	00	55
				57	00	03	06
				66	00	02	93
				85	00	05	98
				90	00	02	43
				91	00	02	58
				101	00	04	44
				176	00	03	37
				183	00	11	63
				175	00	11	21
				95	00	02	06
				92	00	00	37
				107	00	00	40
				104	00	05	21
Saraikela	Gamhariya	Ketul Tanga	54	35	00	01	00
				29	00	07	39
				1	00	02	35

[F. No. L-14014/25/2020-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.